समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 12-07-2014 को चौसा प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण से संबंधित टिप्पणी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12-07-2014 को 11:30 बजे पूर्वाह्न से चौसा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौसा, अंचल अधिकारी चौसा उपस्थित थे। स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौसा :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा 11:30 बजे पूर्वाह्न में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौसा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी श्री गणेश प्रसाद उपस्थित पाये गये। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौसा में 04 चिकित्सक पदस्थापित हैं और सभी उपस्थित हैं। ओ0पी0डी0 की जाँच की गयी, जिसमें डॉ0 धनजंय कुमार मरीजों को देख रहे थे।

इस कार्यालय में 40 कर्मी पदस्थापित हैं। उपस्थिति की जाँच के क्रम में निम्नांकित कर्मी अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	नाम /पदनाम	तिथि	अभ्युक्ति
1	श्रीमति एलिजाबेथ मिंज, ए0एन0एम0	12-07-2014	
2	श्रीमति सुनीता कुमार, ए0एन0एम0	12-07-2014	
3	श्री बीरेन्द्र प्र0 सिंह, प0क0कार्य	12-07-2014	
4	श्री शशिभुषण जयसवाल, स्वा0 सेवक	12-07-2014	
5	श्री अर्जुन मरण्डी, कक्ष सेवक	03-07-14 से 12-07-14 तक अनुपस्थित	
6	श्रीमति सविता कुमारी, ए0एन0एम0	11-07-14 से 12-07-14 तक अनुपस्थित	
7	श्री नीतिश कुमार, कार्य0स0	12-07-2014	
8	श्रीमति नीतु कुमारी, ए0एन0एम0-आर0	07-07-14 से 08-07-14 तक अनुपस्थित	
9	श्रीमती कल्पना कुमारी,ए0एन0एम0 -आर0	12-07-2014	
10	मो0 जुबेर आलम, ई0एम0टी0 (102)	12-07-2014	
11	श्री लक्ष्मण कुमार मेहता, ई0एम0टी0 (102)	12-07-2014	
12	श्री चंदन कुमार, चालक (102)	12-07-2014	

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री नितीश कुमार कार्यालय सहायक, मो0 जुबैर आलम ई0एम0टी0(102), श्री लक्ष्मण कुमार मेहता ई0एम0टी0(102), श्री चंदन कुमार चालक(102), श्रीमति एजिलाबेथ मिंज ए0एन0एम0 तथा श्रीमति सुनिता कुमारी ए0एन0एम0 उपस्थित हैं, परन्तु उन्होंने अपनी उपस्थिति नहीं बनायी है। श्री अर्जुन मरांडी, कक्ष सेवक के संबंध में बताया गया कि ये दिनांक 03-07-2014 से लगातार आजतक अवैध रूप से अनुपस्थित हैं। इसी प्रकार श्रीमति नीतू कुमारी, ए0एन0एम0 दिनांक 07-07-2014 से 08-07-2014 तक, श्रीमति सविता कुमारी, ए0एन0एम0 दिनांक 11-07-2014 से 12-07-2014 तक अनुपस्थित हैं। निदेश दिया गया कि श्री अर्जुन मरांडी, कक्ष सेवक के विरूद्ध अवैध अनुपस्थिति के लिए प्रपत्र-'क' गठित कर सिविल सर्जन, मधेपुरा को भेजें, ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके। अन्य कर्मियों की अनुपस्थिति के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ सिविल सर्जन, मधेपुरा को तीन दिनों के अंदर समर्पित करें कि क्यों नहीं अवैध अनुपस्थिति के लिए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। अनुपस्थित अवधि का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

2-मो0 रफी आलम, प्रधान सहायक जो उपस्थित थे, के संबंध में बताया गया कि इनकी प्रतिनियुक्ति सप्ताह में पाँच दिन सिविल सर्जन कार्यालय तथा शनिवार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौसा किया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि सहायकों की भी कमी है। सिविल सर्जन, मधेपुरा से अनुरोध है कि प्रधान सहायक की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर इन्हें पूर्णरूपेण चौसा कार्यालय में ही कर दिया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि जिन-जिन कार्यालयों में चिकित्सक /सहायक /प्रधान सहायक प्रतिनियुक्ति पर है, उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पूर्णरूपेण संबंधित कार्यालय में पदस्थापित कर दिया जाए।

3-<u>जे0बी0एस0वाई0</u>- इस पंजी की जाँच की गयी, जिसमें काफी अनियमितता पायी गयी, यथा दिनांक 07-07-2014 को दुनी देवी, ग्राम-अरसंडी, वार्ड नं0-10, चौसा का अभी तक राशि नहीं दिया गया है। इसी प्रकार अन्य लाभुकों को भी दिनांक 07-07-2014 से इसी प्रकार राशि नहीं दिया गया है। कई लाभुकों के सामने फोटो चिपकाया हुआ नहीं है और न ही आशा का हस्ताक्षर है। बताया गया कि ए0एन0एम0 एवं आशा का नाम लिख दिया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। निदेश दिया गया कि ए0एन0एम0 एवं आशा का पूर्ण हस्ताक्षर कराया जाय। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कई बैठकों में निदेश दिया गया है कि माता को प्रसव के बाद बेड पर ही /छुट्टी देने के बाद चेक अवश्य उपलब्ध कराया जाए, चाहे उनका खाता खुला हो अथवा नहीं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि भवदीय आदेश के आलोक में लेखापाल को निदेश दिया गया है कि राशि एवं जन्म प्रमाण-पत्र उनके छुट्टी के समय ही उपलब्ध कराया जाय, परन्तु इसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। जाँच के क्रम में यह भी पाया गया कि उक्त पंजी में कई जगह ए0एन0एम0 एवं आशा का हस्ताक्षर नहीं हुआ है, जो अनियमितता को दर्शाता है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौसा को निदेश दिया गया कि लेखापाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय क्यों नहीं इस अनियमितता के लिए उनकी संविदा समाप्त कर दी जाय। उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर सिविल सर्जन, मधेपुरा को एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी संबंधित कर्मी /प्रभारी पदाधिकारी, चौसा /सिविल सर्जन, मधेपुरा)

(2) अंचल कार्यालय, चौसा :–

अंचल कार्यालय /आर0टी0पी0एस0 कार्यालय चौसा का निरीक्षण 12:15 बजे दिन में किया गया। स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :–

➢ लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम दिनांक 15–08–2011 से लागू है। सम्प्रति इस कार्यालय द्वारा किये गये कार्यो की विवरणी निम्न प्रकार पायी गई :–

Offline	UID Till 31-12-2013	UID from 1st Jan, 2014 to till date	Total	Disposal	Pending	Expire
Socical Welfare	7391	253	7644	7532	39	73
M.K.V.Y	1116	116	1232	1212	14	6
R.P.L.Y	71	6	77	61	2	14
Residentail	24768	3695	28463	26066	130	0
Income	12918	2637	15555	15486	69	0
Caste	12911	2906	15817	15731	86	0
Mutation	5544	1300	6844	6598	246	0
L.P.C	799	295	1094	1078	16	0
Tatkal Seva Residence	0	24	24	24	0	0
Tatkal Seva Income	0	13	13	13	0	0
Tatkal Seva Caste	0	17	17	17	0	0
Total	65518	11262	76780	73818	602	93

➢ उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी भी 602 मामलें लंबित हैं एवं 93 मामलें Expire दिखाये गये है, स्थिति संतोषप्रद नहीं हैं। अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा को निदेश दिया गया कि लंबित मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाए।

➢ जांच के क्रम में पाया गया कि तत्काल सेवा, जो 15–01–2014 से लागू हैं, उसके अन्तर्गत बहुत कम आवेदन यथा– आवासीय–24, आय–13 एवं जाति–17 आवेदन ही प्राप्त हुये हैं। लगता है कि तत्काल सेवा के संबंध में लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है। अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए, ताकि आवेदक आवेदन देकर सरकार द्वारा दिये गये सुविधा का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सके।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी, चौसा)

(3) प्रखंड कार्यालय, चौसा :–

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखंड कार्यालय, चौसा का 12–15 बजे अप0 में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा शनिवारीय शिविर आयोजित कर रहे हैं। प्रखंड के एस0ई0सी0सी0 के संबंध में

पूछ–ताछ करने पर प्रभारी सहायक द्वारा बताया गया कि आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी छंटनी की जा रही है। निदेश दिया गया कि आवेदनों के जांचोपरान्त जिला कार्यालय भेंजेंगे। राशन कार्ड वितरण के संबंध में बताया गया कि प्राप्त राशन कार्ड का वितरण कर लिया गया है। वितरण पंजी का अवलोकन किया गया। पंचायत–फुलौत पश्चिमी के क्रमांक–356, गृह संख्या–84 का राशन कार्ड संख्या–101101300010005000084 है, परन्तु इसके प्राप्ति का जगह खाली छोड़ा पाया गया। वितरण पंजी के अवलोकन से पता चला कि अधिकांश लाभुकों का अंगुठा का निशान है। अंचल अधिकारी, चौसा, जो उपस्थित थे, को निदेश दिया गया कि शेष बचे हुये राशन कार्ड का वितरण अविलम्ब सुनिश्चित करें और सभी पर हस्ताक्षर प्राप्त करें, यदि अंगुठा का निशान दिया जाता है, तो अंगुठे को घेरकर उनका नाम लिखा जाना चाहिए।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा)

ह0/–
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1967/गो0, मधेपुरा, दिनांक 15/07/2014

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा /अंचल अधिकारी, चौसा /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज /सिविल सर्जन, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा / कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

ह0 14/07/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।